निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ 1941 (श0)

(सं0 पटना 93) पटना, सोमवार, 3 फरवरी 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद
विद्यापति मार्ग, पटना–800001

अधिसूचना

16 नवम्बर 2019

सं० 1545––सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **भागलपुर शहर के राम दास गुप्ता पथ (लहेरी टोला) स्थित टोरमल दिलसुख राय धर्मशाला** पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0– 1913 है।

इस न्यास के संचालन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक–190, दि0 09/05/2011 द्वारा एक न्यास समिति का गठन 5 वर्षों के लिए किया गया था। उक्त कार्यकाल समाप्त होने के बाद पर्षदीय आदेश पत्रांक–870, दि0 09/06/16 द्वारा इसके कार्यकाल को दो वर्षों के लिए विस्तारित किया गया। पुनः पत्रांक–810, दि0 26/09/18 के आदेश से समिति की कार्य अवधि को छः महीने के लिए विस्तारित किया गया। इस न्यास के प्रबंधन एवं सुव्यवस्था हेतु नयी न्यास समिति बनाये जाने के लिए अंचलाधिकारी, जगदीशपुर से पत्रांक–2255, दि0 15/12/18 द्वारा एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। इसमें पूर्व न्यास समिति के 04 सदस्यों के साथ 07 नये सदस्यों के नामों का प्रस्ताव दिया गया। इसके सत्यापन हेतु पर्षद के पत्र स0–1664, दि0 16/01/19 द्वारा थानाध्यक्ष, कोतवाली, भागलपुर को पत्र भेजा गया। थानाध्यक्ष ने अपने पत्रांक–222, दिनांक 19/02/19 द्वारा 09 व्यक्तियों के नामों का सत्यापन कर प्रतिवेदित किया कि इस सभी के विरूद्ध कोतवाली थाना में किसी प्रकार का शिकायत दर्ज नहीं है। शेष 02 व्यक्ति श्री मुरारी खेमका जो दाता परिवार के सदस्य हैं एवं डॉ0 चन्द्रशेखर शाह पेशे से डॉक्टर हैं। पूर्व न्यास समिति के शेष सदस्यों को भी नयी समिति में नहीं रखे जाने के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु पर्षद के पत्र सं0–2529, दि0 15/03/19 द्वारा सूचना दी गयी थी, परंतु सूचना के उपरांत भी ये लोग उपस्थित नहीं हुए। संचिका में उपलब्ध तथ्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि समिति द्वारा पिछले पांच वर्षों में विकास का काफी कार्य किया गया है। धर्मशाला का अधिकांश भाग अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है और अन्य कार्य भी संतोषप्रद है। उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अंचलाधिकारी, जगदीशपुर से प्राप्त प्रतिवेदन दि0 15/12/18 में प्रस्तावित नामों की न्यास समिति गठन करने का निर्णय लिया गया।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा–32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो **बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0–43 (द) के तहत "अध्यक्ष" को प्राप्त है**, का प्रयोग करते हुए "**टोरमल दिलसुख राय धर्मशाला, रामदास गुप्ता पथ (लहेरी टोला),**

जिला–भागलपुर'' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**टोरमल दिलसुख राय धर्मशाला न्यास योजना, रामदास गुप्ता पथ (लहेरी टोला), जिला–भागलपुर**'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**टोरमल दिलसुख राय धर्मशाला न्यास समिति, रामदास गुप्ता पथ (लहेरी टोला), जिला–भागलपुर**'' जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
12. धर्मशाला से होने वाली आय को बैंक में रखा जायेगा एवं चेक के माध्यम से ही 10 हजार रूपये से अधिक राशि का भुगतान किसी भी पक्ष का किया जाय।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः–

(1) श्री हंसराज जैन पिता– मोमराज जैन सा0– एम0पी0 द्विवेदी रोड, भागलपुर– **अध्यक्ष**

(2) श्री अशोक कु0 जीवराजका पिता– शंकर लाल जीवराजका, सा–– राधाबल्लभ ठाकुर लेन, सुजागंज, था0– कोतवाली, भागलपुर– **सचिव**

(3) डॉ0 रतन संथालिया पिता–सत्यनारायण संथालिया, सा0–मारवाड़ी टोला लेन, कोतवाली, जिला–भागलपुर– **कोषाध्यक्ष**

(4) प्रो0 डॉ0 दिलीप अग्रवाल पिता– स्व0 मोहरीलाल सिंहानेका सा0– फ्लैट नं0– 3सी, गुरूद्वारा रोड, अशोका टावर, था0–कोतवाली, जिला– भागलपुर– सदस्य

(5) श्री विनोद केड़िया पिता– स्व0 रामदेव केड़िया सा0–नया बाजार, एम0पी0 द्विवेदी रोड, था0–कोतवाली, जिला– भागलपुर– सदस्य

(6) श्री लक्ष्मी नारायण डोकानिया पिता– नथमल डोकानिया सा0–डी0एन0 सिंह रोड, खरमनचक, जिला– भागलपुर– सदस्य

(7) श्री लवचंद कोठारी पिता– जीवनमल कोठारी सा0 कुंजलाल लेन, था0–कोतवाली, भागलपुर– सदस्य

(8) श्री श्रवण कुमार किशोरपुरिया पिता– महावीर प्रसाद किशोरपुरिया सा0–आर0बी0 देवी प्रसाद ढ़ानढ़ानिया लेन, था0–कोतावाली, जिला–भागलपुर– सदस्य

(9) श्री सुजीत कुमार पिता– सत्यनारायण मारवाड़ी सा0–सुजागंज, था0–कोतवाली, जिला–भागलपुर– सदस्य

(10) डॉ0 चन्द्रशेखर साह, टोरमल दिलसुख धर्मशाला, लहेरी टोला, भागलपुर– सदस्य

(11) श्री मुरारी खेमका, टोरमल दिलसुख धर्मशाला, लहेरी टोला, भागलपुर– सदस्य

दाता परिवार, भागलपुर।

उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा।

नोटः– न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 93–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in